न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल,
आर.ए.एस.

संख्या :— 85/2015

गोपीचन्द आयु 60 वर्ष पुत्र भैराराम, जाति मेघवाल, निवासी भुदा का बास, तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
—अपीलांट

—बनाम—

राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार मलसीसर, जिला झुंझुनू

— रेसपोंडेंट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 20.12.2012 उनवानी सरकार बनाम गोपीचन्द
कार्यवाही अं0 धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट मु0 नं0 362/12
बअदालत तहसीलदार मलसीसर।

उपस्थितिः—

1. श्री शिवनारायण सिंह, एडवोकेट ——— ——— अपीलांट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार,,राजकीय अभिभाषक ——— रेस्पोंडेंट की ओर से ।

—निर्णय— दिनांक 28.02.2019

उक्त उनवानी अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 20.12.2012 उनवानी सरकार बनाम चन्द्रावली अं0धारा 91 राज0 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट बअदालत तहसीलदार मलसीसर के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं अंकित किये गये हैं कि — राजस्थान सरकार जिला कलक्टर झुंझुनू के आदेश दिनांक 11.6.89 के द्वारा ग्राम पंचायत भुदा का बास को खसरा नंबर 101 गेर मु0 जोहड़ वाके ग्राम भूदा का बास में से दो एकड़ भूमि जो 3 बीघा 4 विश्वा के बराबर होती है। ग्राम भूदा का बास में आबादी के विस्तार हेतु आवंटित की गई जिसका खसरा नंबर 101/1 मी0 रकबा 3 बीघा 4 विश्वा वाके ग्राम भूदा का बास इस भूमि के राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया। भूमि खसरा नंबर 101/1 मी0 तादादी 3 बीघा 4 विश्वा की जमाबन्दी सम्वत 2047 से 2050 में यह भूमि गैर मुमकिन आबादी दर्ज है। उसके बाद तहसील झुंझुनू में सेटलमेंट का कार्य हुआ तो भूमि पुराना खसरा नंबर 101/1 मी0 रकबा 3 बीघा 4 विश्वा का नया खसरा नंबर 151 रकबा 0.81 हैक्टर डाला जाना इस भूमि के मिलान क्षेत्रफल से प्रकट होता है। सेटलमेंट से पूर्व ही जब उक्तानुसार गांव की आबादी विस्तार हेतु आवंटित की गई भूमि का कब्जा ग्राम पंचायत को

दिया गया तो पटवारी हल्का द्वारा इस भूमि के नक्शा ट्रेस में आवंटित भूमि की भौतिक स्थिति को खसरा नंबर 101 में स्थित रास्ता के उत्तर–पूर्व में सटकर दर्शाया जाकर उसकी नकल ग्राम पंचायत भुदा का बास को दिनांक 10.8.98 को निशुल्क प्रदान की गई है। उक्तानुसार आवंटित भूमि के नक्शा ट्रेस के अनुसार ग्राम पंचायत भूदा का बास ने नियमानुसार समय–समय पर अपीलांट व अन्य लोगों को विक्रय विलेख नियमित प्रीमियम राशि जमा कर दे दिये गये तथा उसी समय पट्टेशुदा भूमि का कब्जा दे दिया गया। पट्टा दिये जाने के समय से ही अपीलांट अपने भूखण्ड में मकानाता बनाकर आबाद चला आ रहा है। रेस्पोंडेंट ने पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुये नोटिस जारी किया है। अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर अपना पुराना कब्जा होने के संबंध में सनू 1975 में अपने पिता भैराराम को जारी किया गया नोटिस अं0धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट प्रस्तुत कर अपनी गुवाड़ी आबादी आबादी के उद्देश्य से ग्राम पंचायत भूदा का बास को आवंटित भूमि में स्थित होना बतलाते हुये अपीलांट के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप किये जाने का निवेदन किया । अदालत मातहत ने उस रोज अपीलांट को न तो आगे की कोई तारीख बतायी गई और ना ही किसी प्रकार का कोई आदेश देना बताया । योग्य अदालत मातहत का आदेश जेर बहस दिनांक 20.12.2012 खिलाफ कानून न्याय व पत्रावली होने से खारिज होने योग्य है।

अपीलांट ने आगे कथन किया कि अपीलांट की गुवाड़ी विवादित स्थल पर बहुत पुराने समय से बनी हुई है। पुराने कब्जे के आधार पर प्रार्थी का प्रकरण नियमन योग्य है।

ग्राम पंचायत को आवंटित की गई भूमि का पुराना खसरा नंबर 101/1 मी0 रकबा 3 बीघा 4 विश्वा होना तथा इस भूमि के नये सेटलमेंट में नये खसरा नंबर 151 रकबा 0.81 हैक्टर बनना राजस्व रिकार्ड से साबित है। परन्तु सेटलमेंट ने नया खसरा नंबर 151 रकबा 0.81 हैक्टर वाके भूदा का बास को नक्शा ट्रेस में उसकी वास्तविक स्थिति से काफी दूर पूर्व में गलत दर्शाया है। इसके अलावा नया खसरा नंबर 151 रकबा 0.81 हैक्टर के स्थान को खसरा नंबर 166/212 रकबा 0.82 हैक्टर बतलाते हुये इसे गेर मुमकिन चौब भी गलत बिना किसी आधार के दर्ज किया जाना इस भूमि के राजस्व रिकार्ड से ही स्पष्ट होता है। परन्तु अदालत मातहत ने इस वास्तविक स्थिति पर भी बिना राजस्व रिकार्ड व बिना पटवारी हल्का द्वारा जारी किये गये नक्शा ट्रेस की नकल का अवलोकन किये आदेश जेर बहस गलत दिया जो कानून व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरित होने से खारिज होने योग्य है। अदालत मातहत ने अपीलांट को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत के पट्टे पर कोई गोर नहीं किया । ग्राम पंचायत द्वारा आबादी विस्तार हेतु आवंटित की गई भूमि में से भूमि का पटटी ही अपीलांट के हक में जारी किया है। आवंटित भूमि प्रतिबंधित भूमि किस प्रकार हो सकती है। अदालत

मातहत ने समस्त परिस्थितियों पर बिना गोर किये आदेश अपनी मन मर्जी से गलत दिया है जो खारिज होने योग्य है। अंत में निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 20.12.2012 निरस्त फरमाया जाये।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये बताया कि–अपीलांट अतिक्रमी नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत के पट्टे पर कोई गोर नहीं किया । ग्राम पंचायत द्वारा आबादी विस्तार हेतु आवंटित की गई भूमि में से भूमि का पटटी ही अपीलांट के हक में जारी किया है। आवंटित भूमि प्रतिबंधित भूमि किस प्रकार हो सकती है। ग्राम पंचायत को आवंटित की गई भूमि का पुराना खसरा नंबर 101/1 मी0 रकबा 3 बीघा 4 विश्वा होना तथा इस भूमि के नये सेटलमेंट में नये खसरा नंबर 151 रकबा 0.81 हैक्टर बनना राजस्व रिकार्ड से साबित है। परन्तु सेटलमेंट ने नया खसरा नंबर 151 रकबा 0.81 हैक्टर वाके भूदा का बास को नक्शा ट्रेस में उसकी वास्तविक स्थिति से काफी दूर पूर्व में गलत दर्शाया है। इसके अलावा नया खसरा नंबर 151 रकबा 0.81 हैक्टर के स्थान को खसरा नंबर 166/212 रकबा 0.82 हैक्टर बतलाते हुये इसे गेर मुमकिन चौब भी गलत बिना किसी आधार के दर्ज किया जाना इस भूमि के राजस्व रिकार्ड से ही स्पष्ट है। परन्तु अदालत मातहत ने इस वास्तविक स्थिति पर भी बिना राजस्व रिकार्ड व बिना पटवारी हल्का द्वारा जारी किये गये नक्शा ट्रेस की नकल का अवलोकन किये उक्त आदेश दिया है जो कानून व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरित होने से खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर का आदेश दिनांक 20.12.2012 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर द्वारा अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के कारण विधिक प्रक्रिया के तहत विधिसम्मत कार्यवाही की गई है। वादग्रस्त भूमि की किस्म गैर मु0 जोहड़ है। अतःअपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल मातहत को देखा गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर के निर्णय दिनांक 20.12.2012 का अवलोकन किया गया। अपीलांट का कथन कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में आबादी भूमि रही है और अपीलांट के पास वादग्रस्त भूमि के

संबंध में ग्राम पंचायत भूदा का बास द्वारा जारी पटटा है। अपीलांट अतिक्रमी नहीं है। नये सेटलमेन्ट के दौरान पुराना खसरा नंबर 101/1 मी रकबा 3 बीघा 4 विश्वा गैर मु0 आबादी का नया खसरा नंबर 151 रकबा 0.81 हैक्टर वाके भूदा का बास को नक्शा ट्रेस में गलत दर्शाया है, आदि। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर के निर्णय दिनांक 20.12.2012 में उक्त पट्टे के संबंध में कोई फाईडिंग नहीं दी गई है सिर्फ छपे–छपाये फोरमेट को भरकर निर्णय पारित कर इतिश्री की गई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर का निर्णय दिनांक 20.12.2012 मुकदमा नंबर 368/13 उनवानी सरकार बनाम गोपीचन्द निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार मलसीसर को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि का वे स्वयं मौका निरीक्षण कर विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये राजस्व रिकार्ड का अवलोकन कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 28.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू